उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-59/2018/एस-2-2909/दस-2018-88क(4)/2017
लखनऊ :: दिनॉक:: 06 दिसम्बर, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के अधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, जालौन (ग्रेड वेतन रू0 5400) को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जालौन (ग्रेड वेतन रू0 5400) के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

2- श्री श्रीवास्तव को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

हरिश्चन्द्र
उप सचिव।

<u>संख्या-59/2018/एस-2-2909(1)/दस-2018-88क(4)/2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, जालौन।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला पंचायत, जालौन।
7- श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, जालौन।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।